राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि/नरेगा/वाकायो 12–13/2011 जयपुर, दिनांक : **22 NOV 2011**

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सरकारी कार्यालयों में Roof top rain water harvesting structure बनाये जाने के संबन्ध में।**
संदर्भः–**केन्द्रीय भू–जल अभिकरण का पत्रांक 28–7/केभूअज/2011/1302 दिनांक 06.09.2011**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा केन्द्रीय भू–जल अभिकरण द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के सैक्शन 5 के अन्तर्गत यह निर्देश जारी किये गये है कि समस्त सरकारी भवनों में कृत्रिम जल पुर्नभरण/वर्षा जल संरक्षण स्ट्रक्चर निर्मित किये जावे। अधिनियम के उक्त प्रावधान की पालना बाध्यकारी है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जल संरक्षण के कार्य अनुमत कार्यों की श्रेणी में सम्मिलित है एवं यह कार्य प्राथमिकता से कराये जाने का प्रावधान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव, राजस्थान द्वारा इस संबन्ध में यह निर्देश प्रदान किये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी भवनों में कृत्रिम जल पुर्नभरण/वर्षा जल संरक्षण स्ट्रक्चर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित किये जावे।

अतः इस संबन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि समस्त सरकारी भवनों में कृत्रिम जल पुर्नभरण/वर्षा जल संरक्षण स्ट्रक्चर निर्मित किये जाने के प्रस्ताव योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कराते हुए यह कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराये जावे।

निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय
21/11/11
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक, जयपुर/जोधपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस